शहर के वकील आज नहीं करेंगे न्यायिक कामकाज

जयपुर (कासं)। सोशल मीडिया पर केन्द्रीय विधि मंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वे सीजेआई बीआर गवई की प्रस्तावित बीकानेर यात्रा की जानकारी दे रहे हैं। शहर का वकील समुदाय वायरल वीडियो में केन्द्रीय मंत्री की ओर से कही बात को बीकानेर में बेंच स्थापना की कवायद से जोड रहा है। वहीं इसी आधार पर शहर के वकीलों ने शुक्रवार को न्यायिक कामकाज से दूर रहने का निर्णय लिया है।

50 करोड़ की एम.डी. ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़, 25 हजार का इनामी तस्कर गिरफ्तार

-कार्यालय संवाददाता-

■ फैक्ट्री से भारी मात्रा में एमडी पाउडर, केमिकल बरामद

जयपुर । एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम ने प्रतापगढ़ जिले की थाना पीपलखूंट और डीएसटी के सहयोग से एम.डी. ड्रग बनाने की अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया है। मौके से 25 हजार रुपये इनामी मोस्ट वांटेड आरोपी जमशेद उर्फ जम्मु लाला निवासी देवल्दी को गिरफ्तार कर फैक्ट्री से भारी मात्रा में एमडी पाउडर, केमिकल पदार्थ, एमडी ड्रग बनाने में प्रयुक्त उपकरण बरामद किये है। जब्त मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 करोड रुपए आंकी गई है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध दिनेश एमएन ने बताया कि टीम को आरोपी के बारे में इनपुट मिले थे। इस सूचना पर इन्होंने कई दिनों तक रैकी कर पुष्टि की। जिसमे टाण्डा बड़ा, सरहद बोरी मोजल के ईश्वर मीणा के झोंपड़े में इनामी तस्कर जमशेद उर्फ जम्मू लाला द्वारा एमडी ड्रग बनाने की जानकारी मिली। जिसके बाद जिसके बाद स्थानीय थाना पीपलखूंट और डीएसटी को सूचना देकर छापा मारा गया।

अवैध फैक्ट्री से पुलिस ने आरोपी जमशेद उर्फ जम्मु लाला को गिरफ्तार कर करीब 50 करोड़ रुपये कीमत की 17.4 किलोग्राम एमडी पाउडर, 70 किलो ग्राम से अधिक केमिकल पदार्थ, एमडी ड्रग बनाने में प्रयुक्त उपकरण बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया।

यह मामला 16 दिसंबर 2024 का है, जब एजीटीएफ और थाना अरनोद पुलिस ने देवल्दी गाँव में छापा मारा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 40 करोड़ रुपये कीमत के 11.450 किलोग्राम लिक्विड एमडीएमए, 14.770 किलोग्राम अन्य लिक्विड केमिकल, 4.900 किलोग्राम केमिकल और 2.500 किलोग्राम सफेद पाउडर सहित एमडी बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण जब्त किए थे। इस मामले में आरोपी याकुब पुत्र फकीरगुल, जमशेद उर्फ जम्मू लाला और साहिल पुत्र सलीम निवासी देवल्दी थाना अरनोद प्रतापगढ़ फरार हो गए थे। जिनकी गिरफ्तारी के लिए एसपी प्रतापगढ़ द्वारा 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया।

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मुख्य आरोपी याकूब खां मादक पदार्थों की तस्करी से अवैध संपत्ति अर्जित कर रहा था। वित्तीय जांच में यह सामने आया कि उसने वर्ष 2024 में अपनी पत्नी बखमीना बी के नाम पर मध्य प्रदेश के जावरा स्थित हुसैन टेकरी क्षेत्र में एक होटल/लॉज खरीदा था। जिसकी बाजार कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये है। इसके बाद प्रतापगढ़ पुलिस ने सक्षम प्राधिकारी भारत सरकार के निर्देश पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68एफ(1) के तहत उक्त सम्पत्ति को 28 अगस्त को फ्रीज कर दिया। इस संयुक्त कार्रवाई में एजीटीएफ के हेड कांस्टेबल महावीर सिंह कांस्टेबल नरेंद्र पाटीदार की विशेष भूमिका रही। वहीं प्रतापगढ़ डीएसटी के प्रभारी उप निरीक्षक रविंद्र पाटीदार सहित टीम के सदस्यों उप निरीक्षक पन्नालाल, एएसआई प्रताप सिंह, कांस्टेबल विनोद, नरेंद्र सिंह, पंकज, रमेश चंद, हेमेन्द्र सिंह, संदीप, रमेश चंद व अरविंद सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एसएचओ पीपलखूंट नरेश पाटीदार और उनकी टीम भी इस कार्रवाई का हिस्सा रही।

पूरा खाता फ्रीज किया

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने साइबर ठगी को लेकर विवादित राशि के बजाए कचौड़ी बेचने वाले का पूरा बैंक खाता फ्रीज करने के मामले में राहत दी है। अदालत ने याचिकाकर्ता का खाता डी-फ्रीज करने के आदेश देते हुए इस बिंदु पर समान प्रकृति के मामलों से जुड़े वकीलों को अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में अदालत का सहयोग करने को कहा है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश पदम कुमार जैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता जांच एजेंसी की अनुमति के बिना खाता बंद नहीं करेगा।

प्रारूप-10 (नियम 6 (7) देखिए)

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर परिषद बून्दी (राज.)

क्र.सं. **लोक सूचना** दिनांक-11.9.25

आवेदक श्री उदालाल पुत्र श्री रामपाल निवासी बूंदी ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषि आधारित औद्योगिक प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
तहसील बून्दी जिला बून्दी	ग्राम दोलाडा	1077/973, 1120/770, 1078/97 3 कुल किता 3	कुल रकबा 0.9135 है. या 9135 वर्गमीटर कृषि आधारित औद्योगिक प्रयोजनार्थ

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृत अधिकारों के निर्वाचन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपयुर्क्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधिन आज दिनांक 11.9.25 को जारी की गयी।

प्राधिकारी अधिकारी का नाम और मुहर

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/1043 **विज्ञप्ति** दिनांक:-10.09.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम सोगरिया में स्थित कृषि भूमि योजना प्रताप टाउनशिप ब्लॉक-ए खसरा नं. 353 में स्थित भूखण्ड संख्या ए-52 आवेदक/आवेदिका श्री पुष्पेन्द्र गोयल पुत्र श्री श्याम सुन्दर गुप्ता निवासी धिंडोरा, तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 69 दिनांक 20.07.2015 को श्री अनुज शर्मा पुत्र श्री गौरी शंकर शर्मा के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा उक्त भूखण्ड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 24.08.2023 को जर्ये मुख्तारआम श्री गौरी शंकर शर्मा पुत्र श्री देवदत्त शर्मा द्वारा आवेदक के पक्ष में किया गया है।

अत: श्री पुष्पेन्द्र गोयल पुत्र श्री श्याम सुन्दर गुप्ता के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 1599 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 11.9.25

आवास संख्या 3/295 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री ई.वी. केलव पुत्र श्री सोलोमन केलव को किया गया। इस आवास का नियमितिकरण श्री गणेश कुमार कुसेजा पुत्र श्री ठारूमल के नाम दिनांक 07.08.2006 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री गणेश कुमार कुसेजा पुत्र स्व. श्री ठारूमल द्वारा दिनांक 07.04.2007 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री गणेश कुमार कुसेजा पुत्र स्व. श्री ठारूमल की मृत्यु दिनांक 20.07.2018 को हो चुकी है इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्रीमती सोनिया कुमारी पत्नी स्व. श्री गणेश कुमार द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 3/295 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती सोनिया कुमारी पत्नी स्व. श्री गणेश कुमार के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती सोनिया कुमारी पत्नी स्व. श्री गणेश कुमार के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति, नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती सोनिया कुमारी पत्नी स्व. श्री गणेश कुमार के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला -चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/नपारा/भूमि/2025-26/1871 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक:-11.09.25

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदनकर्ता श्रीमती मेघा विज पत्नी श्री नवीन कुमार विज निवासी सी-36, श्रीनाथपुरम, कोटा (राज.) द्वारा इस कार्यालय में ऑनलाईन आवेदन पत्र मय वांछित दस्तावेज प्रस्तुत कर निजी खातेदारी की सम्परिवर्तित पर्यटन ईकाई (रिसोर्ट) प्रयोजनार्थ भूमि राजस्व ग्राम-जावराखुर्द पटवार हल्का बाडौलिया तहसील रावतभाटा जिला चितौड़गढ़ के खसरा संख्या 591/86 रकबा 0.1881 हैक्टेयर व 587/85 रकबा 0.73 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 0.9181 हैक्टेयर अर्थात् 9181 वर्गमीटर का नगर पालिका रावतभाटा द्वारा जारी लीज डीड (पट्टा) क्रमांक 2025-26/282 दिनांक 09.07.2025 जारी कर दिनांक 01.08.2025 को पंजीबद्ध किया गया है। उक्त पर्यटन ईकाई रिसोर्ट प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तित एवं अनुमोदित ले-आउट/साईट प्लान अनुसार भूमि का क्षेत्रफल 9181 वर्गमीटर पर प्रभावी मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2020 के प्रावधानों के तहत पर्यटन ईकाई रिसोर्ट के उपयोगार्थ प्रस्तावित भवन निर्माण के मानचित्र का अनुमोदन एवं निर्माण स्वीकृति चाही गयी है।

अत: उपरोक्त प्राप्त आवेदन से सम्बन्धित प्रस्तावित कार्यवाही को पालिका द्वारा आवेदक के पक्ष में निष्पादित किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति/फर्म/विभाग/संस्था को उक्त कार्यवाही पर कोई उजर या आपत्ति हो, तो इस सूचना के प्रकाशन से 07 दिवस के अन्दर इस कार्यालय में मय साक्ष्य/सबूत के प्रस्तुत कर सकते है, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् प्राप्त कोई भी उजरदारी या आपत्ति मान्य नही होगी। सूचित रहे।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रावतभाटा

कार्यालय नगर पालिका भवानीमण्डी जिला झालावाड़ (राज.)

क्रमांक:-न.पा.भ./भूमि/2025/1697-1698 दिनांक:-11.09.2025

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न आवेदकों ने नगरपालिका भवानीमण्डी में सीमान्तर्गत पट्टा/पट्टा नवीनीकरण/लीज हस्तांतरण/निर्माण स्वीकृति/अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई है। उक्त संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अन्दर मियाद 7 योम कार्यालय नगरपालिका में उपस्थित होकर दो प्रतियों में प्रस्तुत करें। बाद गुजरने मियाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

क्र.सं.	नाम/पिता, पति का नाम	स्थान	विवरण
1	श्रीमती दीपिका विश्वकर्मा पत्नी श्री कुशाल विश्वकर्मा	बजरंग नगर-2 प्लाट नं. 99 गंगपुरा भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
2	सुश्री कंचन पुत्री श्री नाथूलाल	बजरंग नगर-2 प्लाट नं. 98 गंगपुरा भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
3	श्रीमती रुचि जैन पत्नी श्री कुलदीप कुमार	शिवधाम आवासीय कालोनी, प्लाट नं. 28 का उत्तरी भाग एवं 29 का दक्षिणी भाग भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
4	श्री राजेश मीणा आ. श्री चम्पालाल मीणा	अनन्त विहार आवासीय कालोनी प्लाट नं. ए-179 रेल्वे क्रासिंग के पास दुधाखेडी जाने वाले रास्ते पर नई विकसित कालोनी भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
5	श्रीमती याकुता पत्नी श्री हाशिम अली	प्रेमलता आवासीय कालोनी प्लाट नं. 39 भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
6	श्री गिरिराज राठौर आ. श्री लालचन्द राठौर	दीनदयाल उपाध्याय कालोनी में शशान पार्क के सामने प्लाट नं. 03 भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
7	श्री सतीश गोयल आ. श्री सुरेश गोयर	सरकारी कुएं के पास, माण्डवी रोड पर, प्लाट नं. 01 भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
8	श्रीमती कंचन बाई पत्नी श्री कैलाश चंद मेहर	बजरंग नगर आवासीय कालोनी प्लाट नं. 32 गंगपुरा भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
9	श्रीमती रानी बाला जैन पत्नी श्री मनोहर लाल जैन	वार्ड नं. 21 पुरानी पंचायत समिति के सामने विद्युत कार्यालय रोड भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
10	श्री प्रेमशंकर आ. श्री पुरुषोत्तम आवाल	वार्ड नं. 01 रेल्वे स्टेशन तिराहा भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
11	श्रीमती तारकेश्वर दलवानी पुत्री श्री मायाराम जी सिन्धी	वार्ड नं. 01 रेल्वे स्टेशन तिराहा भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
12	श्री आशीष दलवानी आ. श्री मायाराम जी सिन्धी	वार्ड नं. 01 रेल्वे स्टेशन तिराहा भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
13	श्रीमती विमला मन्त्री पत्नी श्री गोपाल मन्त्री	वार्ड नं. 01 रेल्वे स्टेशन तिराहा भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
14	श्री हेमन्त सोनी आ. श्री राधेश्याम सोनी	राधेश्याम मन्दिर की गली वार्ड नं. 40 भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
15	श्री सत्यनारायण सेठिया आ. श्री चौथमल सेठिया	कांग्रेस कार्यालय के पास गली में वार्ड नं. 38 भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
16	श्री राजेन्द्र प्रसाद कचोलिया आ. श्री गोपी किशन कचोलिया	मगनभाई मार्केट आवासीय कालोनी प्लाट नं. 39 पुराना गाडी अड्डा भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी पट्टा
17	श्री राजेन्द्र प्रसाद कचोलिया आ. श्री गोपी किशन कचोलिया	मगनभाई मार्केट आवासीय कालोनी प्लाट नं. 31 पुराना गाडी अड्डा भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी पट्टा
18	श्री लोकेन्द्र सेन आ. श्री सत्यनारायण सेन	प्लाट नं. 89 इन्द्र विहार आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी पट्टा
19	श्री विशाल सेन आ. श्री सत्यनारायण सेन	प्लाट नं. 88 इन्द्र विहार आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी पट्टा
20	श्री भगवान सिंह आ. श्री कान सिंह	रामदेव नगर आवासीय कालोनी प्लाट नं. 10 मुगलाना पचपहाड	आवासीय कालोनी पट्टा
21	श्री राजेन्द्र कुमार नाहर आ. श्री इन्द्रमल नाहर	एदकल आवासीय योजना प्लाट नं. 1 भूमि खसरा नं. 1466/189 भवानीमण्डी	एकल आवासीय
22	श्री आफताब आलम आ. श्री मोहम्मद हारुन	एकल आवासीय प्लाट भूमि खसरा नं. 135/3 का भाग डग-झालावाड सडक बाय पास पर लक्ष्य रेजिडेन्सी कालोनी के पास भवानीमण्डी	एकल आवासीय
23	श्रीमती याकुता पत्नी श्री हाशिम अली	प्रेमलता आवासीय कालोनी प्लाट नं. 39 भवानीमण्डी	लीज हस्तान्तरण
24	श्री सत्यनारायण आ. श्री पुरालाल	प्लाट नं. 18 श्री साई विहार आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	लीज हस्तान्तरण
25	श्री घनश्याम आ. श्री लक्ष्मीनारायण एवं श्री कमलेश सोनी आ. श्री लक्ष्मीनारायण	प्लाट नं. बी-126 का दक्षिणी भाग, अनन्त विहार आवासीय कालोनी रेल्वे क्रासिंग के पास दुधाखेडी जाने वाले रास्ते पर नई विकसित कालोनी भवानीमण्डी	लीज हस्तान्तरण
26	श्री दशरथ सिंह आ. श्री कृपाल सिंह	प्लाट नं. 41 का उत्तरी भाग दस खोली कालोनी भवानीमण्डी	लीज हस्तान्तरण
27	श्री राजेश मीणा आ. श्री चम्पालाल मीणा	प्लाट नं. ए-179 अनन्त विहार आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	लीज हस्तान्तरण
28	श्री अनमोल सिंह आ. श्री हरविंदर सिंह	प्लाट नं. 23 गरीब नवाज कालोनी भवानीमण्डी	लीज हस्तान्तरण
29	श्रीमती सुन्दर बाई चौहान पत्नी श्री धीरज सिंह चौहान एवं श्रीमती दुर्गा बाई पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह	प्लाट नं. 43 गुण रंजना विहार आवासीय कालोनी माण्डवी	लीज हस्तान्तरण
30	श्री घनश्याम आ. श्री लक्ष्मीनारायण एवं श्री कमलेश सोनी आ. श्री लक्ष्मीनारायण	प्लाट नं. बी-126 का दक्षिणी भाग, अनन्त विहार आवासीय कालोनी रेल्वे क्रासिंग के पास दुधाखेडी जाने वाले रास्ते पर नई विकसित कालोनी भवानीमण्डी	प्लाट का उपविभाजन
31	श्री मदनलाल आ. श्री कन्हैयालाल	वार्ड नं. 05 नरसिंहपुरा रोड पचपहाड	अनापत्ति प्रमाण पत्र

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका भवानीमण्डी

'योग के माध्यम से समाज में स्वास्थ्य-संस्कार और समृद्धि का बीजारोपण करें'

■ पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के मुख्य केन्द्रीय प्रभारी स्वामी परमार्थदेव ने किया राजस्थान दौरा

जयपुर (कासं)। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के मुख्य केन्द्रीय प्रभारी स्वामी परमार्थदेव ने 2 से 10 सितंबर तक पश्चिमी राजस्थान के 6 जिलों में 2500 किलोमीटर की निरंतर सड़क मार्ग यात्रा करते हुए 8 दिवसीय नि:शुल्क इंटिग्रेटेड योग शिविर और 7 जिला स्तरीय कार्यकर्ता बैठकें व अनेकों स्कूलों में संगोष्ठी की। उन्होंने करीब 20 हजार से अधिक योग साधकों व जनमानस को योगऋषि स्वामी रामदेव तथा आचार्य बालकृष्ण के संकल्पों को पूरा करने के लिए मार्गदर्शन किया।

उन्होंने कहा कि भारतीय योग परंपरा विश्व की सबसे अर्वाचीन और प्राचीन योग परम्परा है, यह महर्षि पतंजलि के तप से वरदान स्वरूप हमें प्राप्त हुई है। जिसे विश्वयोग गुरू स्वामी रामदेव और आयुर्वेद आचार्य बालकृष्ण महाराज ने पुनर्स्थापित करने का प्राण प्रण संकल्प लिया है।

उन्होंने कहा कि योग के माध्यम से समाज में स्वास्थ्य-संस्कार और समृद्धि का बीजारोपण करें। प्रतिदिन के योग से जब स्वस्थ शरीर और विचारों से परिपूर्ण मनुष्य होगा, तभी यह देश विकसित भारत बनकर संसार को नेतृत्व प्रदान कर सकेगा।

स्वामी परमार्थदेव ने जोधपुर, जैसलमेर, तनोट, चौहटन, बाड़मेर, सांचौर, सुमेरपुर और पाली में विशेष इंटिग्रेटेड योग शिविर में लोगों को संबोधित किया और योगाभ्यास कराया। जैसलेर के तनोट माता मंदिर में बीएसएफ के जवानों के साथ भी योगाभ्यास किया गया।

कार्यक्रम के दौरान भारत स्वाभिमान न्यास के राज्य प्रभारी करनाराम चौधरी, पतंजलि योग समिति के राज्य प्रभारी समदर सिंह, पतंजलि किसान सेवा समिति के राज्य प्रभारी हुकमाराम राव, पतंजलि युवा भारत के राज्य प्रभारी नरेन्द्र परिहार, पतंजलि सोशल मीडिया के राज्य प्रभारी दिलीप कुमार तिवाड़ी तथा मदन मोहन मौजूद थे।

20 किलो से अधिक गांजे सहित एक गिरफ्तार

छबड़ा। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20.309 किलो गांजा जब्त किया। सीआई राजेश खटाना ने बताया कि गश्त के दौरान गुगोर

हनुवतखेडा बाईपास रोड पर पहुंचे तो हनुवतखेडाफाटक रोड की तरफ से सामने से एक व्यक्ति अपने दोनो हाथो मे दो प्लास्टिक के कट्टे लेकर आता हुआ दिखाई दिया जो पुलिस जीप को देखकर एकदम से रोड से नीचे उतरकर पटरियों की तरफ जाने लगा। जिस पर शक होने पर पीछा कर डिटेन कर नाम पता पूछा तो उसने उसका नाम विशालसिंह सांसी (19) पुत्र बलवीरसिंह निवासी लक्ष्मीपुरा हाल गणपति नगर का होना बताया। जिससे भागने का कारण पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया। जिसकी तलाशी ली गई तो डिटेनशुदा विशालसिंह के पास मौजूद दोनो प्लास्टिक के कट्टों मे से 20.309 किलो गांजा जब्त किया गया। आरोपी के विरूध्द छबड़ा थाने में एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर जांच बापचा थानाधिकारी बुद्धराम जाट को सौंपी है।

पुलिस अधीक्षक को सौपा परिवाद

बूंदी। परिवादी बाबुलाल पुत्र रामकुंवार ने परिवारजनों के साथ जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी को अपनी पुत्री मुकेशी बाई की दहेज हत्या के मामले में, हत्या के आरोपी पति रामरेश मीणा, ससुर रामस्वरूप मीणा, देवर धोलुराम, देवरानी, राजेन्द्र आदि के खिलाफ इद्रगढ़ थाना में दर्ज प्रकरण में तुरंत मुलजिमान की गिरफ्तारी करने तथा जांच अधिकारी बदला जाकर उच्चाधिकारीयों से जांच करवाने की मांग की,

परिवादी ने बताया कि दिनांक 05.09.2025 को रात्रि समय करीब 1 से 2 बजे सुचना मिली कि तुम्हारी पुत्री मुकेशी बाई पत्नी रामनरेश मीणा निवासी चमनगंज थाना इद्रगढ़ जिला बूंदी को मृत्यु हो गई इसको सम्हाल लो तभी परिवादी अपने परिवारजनों के साथ पुत्री के ससुराल में जाकर देखा और जानकारी की परिवादी की पुत्री के सिर व शरीर पर ताजा मारपीट के निशान थे जो किसी धारदार हथियार के लग रहें थे तथा सिर व शरीर खुन से लथपथ हो रहा था मृतका के चमनगंज निवासी पति रामनरेश मीणा, ससुर रामस्वरूप मीणा, देवर धोलुराम, देवरानी पत्नी धोलुराम , राजेन्द्र आदि ने एक राय, एक ईरादे से की है उक्त घटना पर इद्रगढ़ थाने में एफआईआर संख्या 155/25 अंतर्गत धारा 85, 108, 115(2), 189 (2) बी.एन.एस. के दर्ज है जिसमें जांच अधिकारी के रवैये से संतुष्ट नहीं है इसलिए जिला पुलिस अधीक्षक से को परिवाद पेश कर उचित न्याय की मांग की है।

नवागंतुक विद्यार्थियों के लिए फ्रेशर पार्टी आयोजित

कोटा, (निसं)। मोदी ग्रुप ऑफ़ इंस्टिट्यूशन द्वारा संचालित मोदी लॉ कॉलेज में नवागंतुक विद्यार्थियों के लिए विशेष फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। फ्रेशर पार्टी में मुख्य अतिथि के रूप में संस्था के चेयरमैन सुशील मोदी व ग्रुप निदेशक राघव मोदी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व गणेश वंदना से किया गया।

चेयरमैन सुशील मोदी ने बताया की फ्रेशर पार्टी सभी नए विद्यार्थियों के एक-दूसरे से जुड़ाव का बहुत बेहतरीन माध्यम हैं। राघव मोदी ने ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पूरी मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ाने की प्रेरणा दीं। महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ.क्षिप्रा गुप्ता ने बताया कि फ्रेशर पार्टी में विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। व्याख्याता डॉ.शिल्पा खंडेलवाल ने नवागंतुक विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि वह महाविद्यालय से संबंधित सभी गतिविधियों में निरंतर भाग ले।

सीनियर विद्यार्थियों ने नवागंतुक विद्यार्थियों का परंपरागत तरीके से तिलक लगाकर और कॉलेज का बेज पहनाकर सत्कार किया। सीनियर विद्यार्थियों ने अपनी महाविद्यालय की यादों को उनके साथ साझा किया एवं महाविद्यालय की वर्षपर्यंत की जाने वाली शैक्षणिक गतिविधियो के बारे मे बताया। विद्यार्थियों ने नृत्य व गायन के माध्यम से मनमोहक प्रस्तुति दी तो कुछ विद्यार्थियों ने अभिनय के माध्यम से कॉलेज लाईफ के बारे में बताया। साथ ही प्रेशर पार्टी में सभी ने संगीत, नृत्य व भोजन का आनंद लिया। कार्यक्रम का संचालन आरजे अभिलाष ठाकुर द्वारा किया गया। डॉ.सबरीना अंसारी द्वारा सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद प्रेषित किया गया।

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक)

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी है। ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की''धारा 13(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने ऋण खातों के गैर निष्पादनीय आस्तियों (एन.पी.ए.) होने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार ऋणीयों/सह-ऋणीयों/ गारण्टर बंधककर्ताओं (जिन्हें आगे ऋणी/ऋणीयों के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) को 60 दिनों के नोटिस प्रेषित किये थे, नोटिस के अनुसार यदि ऋणी 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नही करवाते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अन्तर्गत कदम उठाने हेतु स्वतंत्र होगा। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसे प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेने की शक्ति तथा उनका विक्रय करना सम्मिलित है। अत: आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि निम्न सूची में दी गई सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि भविष्य के ब्याज तथा खर्चो एवं लागतों इत्यादि के साथ 60 दिवस के भीतर जमा करवा दें। इसके अतिरिक्त आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 13(13) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के पश्चात प्रतिभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना सूचना में निर्दिष्ट अपनी किन्ही प्रतिभूत आस्तियों को विक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा अथवा किसी माध्यम से अन्तरित नहीं करेंगे। ऋणीयों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(8) सपठित नियम 3 (5) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अनुसार ऋणी अपनी बंधक सम्पत्ति को उसके द्वारा उपगत सभी खर्चो प्रभारों और व्ययों के सहित प्रतिभूत लेनदार द्वारा विक्रय या अन्तरण के लिये नीलामी सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समय भुगतान करके मुक्त करवा सकते है।

ऋण खाता संख्या / ऋणी/सहऋणी/ बन्धकर्ता/गारन्टर का नाम	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
(खाता सं.) L9001060115522303 **राजेन्द्र कुमार जैन (ऋणी)**, श्रीमती रीता जैन (सह-ऋणी)	17 जुलाई 2025 ₹ 956535/- रु. नो लाख छप्पन हजार पांच सौ पैंतीस मात्र दिनांक 11 जुलाई 2025	संपत्ति स्थित- पीरावा, जिला झालावाड़, राजस्थान **क्षेत्रफल 2350 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001060117024021 **राजेन्द्र कुमार जैन (ऋणी)**, श्रीमती मुन्नी बाई जैन (सह-ऋणी), सुरेश चन्द जैन (सह-ऋणी)	17 जुलाई 2025 ₹ 993349/- रु. नो लाख तिरानबे हजार तीन सौ उनचास मात्र दिनांक 11 जुलाई 2025	संपत्ति स्थित- केएच नं. 204 205, मुन्नी बाई का प्लॉट, पीरावा, जिला - झालवाड़, राजस्थान **क्षेत्रफल 704.4 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001060114882659 **कुल्दीप शर्मा (ऋणी)**	08 अगस्त 2025 ₹ 437787/- रु. चार लाख सैंतीस हजार सात सौ सत्यासी मात्र दिनांक 07 अगस्त 2025	संपत्ति स्थित- प्लॉट नं. 265-ए, अजय आहुजा नागर, जिला - कोटा, राजस्थान **क्षेत्रफल 57.37 वर्ग मीटर**
(खाता सं.) L9001060823995402